

भैय्या राम मुंडा

बनाम

अनिरुद्ध पातर और अन्य

14 अगस्त, 1970

[जे. सी. शाह और वी. भार्गव, न्यायमूर्तिगण]

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950, भाग III—आदेश में किसी प्रविष्टि की परिधि निर्धारित करने के लिए साक्ष्य कब स्वीकार्य है—किसी प्रविष्टि के अंतर्गत कुछ उप-जनजातियों का सम्मिलित होना—क्या अन्य उप-जनजातियाँ अपवर्जित मानी जाएँगी—अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि वह उस जनजाति का सदस्य नहीं था—उसका प्रभाव।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जारी संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 के भाग III में मुंडा को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, किंतु पातर को नहीं। प्रथम उत्तरदाता पातर था। उसे अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। अपीलकर्ता, जो एक असफल प्रत्याशी था, ने यह आधार लेकर निर्वाचन को निरस्त किए जाने के लिए एक निर्वाचन याचिका दायर की कि प्रथम उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि प्रथम उत्तरदाता मुंडा था और इसलिए वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य था।

इस न्यायालय में अपील करते हुए,

निर्णय—(1) राष्ट्रपति के आदेश में किसी प्रविष्टि का क्या आशय है, यह दर्शाने के उद्देश्य से साक्ष्य स्वीकार्य है, किंतु अन्य जनजातियों को सम्मिलित करके आदेश में संशोधन करने के लिए ऐसा साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है। चूँकि प्रथम उत्तरदाता का मामला यह नहीं था कि पातर एक पृथक समुदाय हैं जिन्हें मुंडा माना जाता है, बल्कि यह था कि पातर ही मुंडा हैं,

इसलिए यह दिखाने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि मुंडा की प्रविष्टि में पातर सम्मिलित हैं। [814 बी-सी; 815 ए]

बी. बसवैय्यप्पा बनाम मुल्लीचिम्मप्पा, [1965] 1 एससीआर 316; भैयालाल बनाम हरिकिशन सिंह एवं अन्य, [1965] 2 एससीआर 877; लक्ष्मण सिद्धप्पा नाइक बनाम कट्टिमणि चन्नप्पा लामप्पन्ना एवं अन्य, [1968] 2 एससीआर 805; तथा दीना बनाम नारायण सिंह एवं अन्य, दीवानी अपील संख्या 1622/67, दिनांक 21-5-1968—उद्धृत।

(2) यह कि कोई विशेष व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा घोषित किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या नहीं, मूलतः विधि का प्रश्न है। यद्यपि उसके द्वारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से यह स्वीकार किया जाना कि वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, निर्वाचन याचिका में उसके विरुद्ध साक्ष्य होता है, तथापि ऐसा साक्ष्य निर्णायक नहीं होता। [808 बी-सी]

(3) यदि अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य ऐसी विलेख द्वारा संपत्ति का अंतरण करता है, जिसमें वह स्वयं को अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं बताता है, ताकि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत पंजीकरण से इंकार से बचा जा सके, तो मात्र इसी आधार पर वह अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का दावा करने से वंचित नहीं हो जाएगा। केवल इसी आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अंतरणकर्ता अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था या वह उस स्थिति का दावा करने से प्रतिषिद्ध था। [808 डी-ई]

(4) मामले में उपलब्ध साक्ष्यों से यह सिद्ध हुआ कि पातर, मुंडा की एक उप-जनजाति हैं और वे मुंडा से भिन्न नहीं हैं। [813 एफ-जी]

(5) यदि पातर मुंडा हैं, तो केवल इस कारण से कि राष्ट्रपति आदेश में मुंडा की कुछ उप-जनजातियों का उल्लेख किया गया है और कुछ का नहीं, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जिनका उल्लेख नहीं है वे मुंडा नहीं हैं। मात्र इस आधार पर कि पातर का

राष्ट्रपति आदेश में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उन्हें मुंडा की सामान्य श्रेणी से बाहर नहीं किया जा सकता। [813 जी-एच]

दीवानी अपील की क्षेत्राधिकार: 1969 का दीवानी अपील सं. 2039

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116-ए के अंतर्गत अपील, पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिका संख्या 9/1969 में दिनांक 19.08.1969 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

डी. गोबर्धन एवं आर. गोबर्धन, अपीलकर्ता की ओर से।

के. के. सिन्हा, एस. ठाकुर प्रसाद तथा एस. एस. जौहर, उत्तरदाता सं. 1 की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

शाह, न्यायमूर्ति, जनवरी 1969 में आयोजित “मध्यावधि चुनावों” में अनिरुद्ध पातर (इस अपील में प्रथम उत्तरदाता) को तामार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 296 (अनुसूचित जनजाति) से बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। भैया राम मुंडा—जो उस चुनाव में असफल प्रत्याशी थे—ने इस आधार पर कि प्रथम उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था और इस कारण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा की सीट भरने के लिए अर्ह नहीं था, पटना उच्च न्यायालय में निर्वाचन को निरस्त किए जाने हेतु आवेदन किया। उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए याचिका खारिज कर दी कि प्रथम उत्तरदाता “मुंडा” नामक अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 के भाग III में निर्दिष्ट है। इसके विरुद्ध भैया राम मुंडा ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116-ए के अंतर्गत इस न्यायालय में अपील दायर की है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा में किसी सीट को भरने के लिए

चुने जाने के योग्य नहीं होगा, जब तक कि—”

(क) “उस राज्य में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किसी सीट के मामले में, वह उन जातियों में से किसी का या, स्थिति के अनुसार, उन जनजातियों में से किसी का सदस्य हो, तथा उस राज्य की किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो;”

* * * * *

संविधान का अनुच्छेद 342, जहां तक प्रासंगिक है, प्रदान करता है:

“(1) राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के भागों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।

(2) संसद, खंड (1) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के किसी भाग या समूह को विधि द्वारा सम्मिलित कर सकती है या उससे अपवर्जित कर सकती है, किंतु उपर्युक्त के सिवाय, उक्त खंड के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना को किसी भी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।”

संविधान के अनुच्छेद 342 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 नामक एक आदेश जारी किया, जिसमें दूसरी धारा द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किया गया था:

“इस आदेश की अनुसूची के भाग I से XII में निर्दिष्ट जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय, अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के भाग या

समूह, जिन राज्यों से वे भाग क्रमशः संबंधित हैं, उन राज्यों के संबंध में, तथा उन भागों में उनके लिए निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों में निवास करने वाले उनके सदस्यों के संबंध में, अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे।”

अनुसूची में कुछ जनजातियों के नाम उल्लिखित हैं और भाग III में बिहार राज्य के अंतर्गत कुछ जनजातियों को निर्दिष्ट किया गया है। भाग III में निर्दिष्ट जनजातियाँ पूरे बिहार राज्य में अनुसूचित जनजातियाँ मानी जाती हैं। भाग III में *मुंडा* का नाम आता है, किंतु पातर का नहीं। प्रथम उत्तरदाता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि *पातर* ही *मुंडा* हैं, और यह कि केवल गैर-*मुंडा* लोग ही सिंहभूम तथा उससे सटे क्षेत्रों में सामान्यतः निवास करने वाली जनजातियों से संबंधित विभिन्न बहिर्विवाही समूहों तथा विभिन्न *किलियों* से संबंधित लोगों को *मुंडा*, अथवा *पातर मुंडा*, *महाली मुंडा*, *तमाड़िया*, *बुंडुआर* और *मरांग मुंडा* आदि के रूप में संबोधित करते हैं। उसका यह भी कहना था कि केवल इस कारण से कि उसका पारिवारिक नाम *पातर* है, वह *मुंडा* होना नहीं छोड़ देता।

अपीलकर्ता ने अपनी याचिका के समर्थन में दो तर्क प्रस्तुत किए—(1) कि *पतार मुंडा* नहीं हैं, और (2) कि यदि *पतार मुंडा* हैं भी, तब भी चूँकि पतार नाम को संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 के भाग III, जो बिहार पर लागू है, में सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए वह स्वयं को मात्र *मुंडा* कहकर आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से विधानसभा में बैठने हेतु निर्वाचित नहीं हो सकता।

उच्च न्यायालय के समक्ष मौखिक तथा दस्तावेजी पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। अपने मामले के समर्थन में अपीलकर्ता ने—(1) 11 जनवरी, 1969 को उत्तरदाता सं. 1 द्वारा निष्पादित एक विक्रय विलेख पर भरोसा किया, जिसमें यह उल्लेख था कि उत्तरदाता सं. 1 अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने की स्थिति का दावा नहीं करता था; (2) राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों पर; तथा (3) उन साक्षियों की मौखिक साक्ष्य पर, जिन्होंने यह बयान दिया कि उत्तरदाता सं. 1 *मुंडा* नहीं था।

अपने मामले के समर्थन में उत्तरदाता सं. 1 ने—(1) पटना उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर अवलंबन किया, जिसमें यह घोषित किया गया था कि *पतार मुंडा* हैं; (2) *खतियान* प्रविष्टियों पर, जिनमें *पतारों* को *मुंडा* के रूप में दर्ज किया गया था; (3) राय बहादुर शरत चन्द्र राय द्वारा 15 जुलाई, 1941 को दिया गया एक प्रमाण-पत्र (विवाद उत्पन्न होने की तिथि से अनेक वर्ष पूर्व), जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि ग्राम कुमार रापा, थाना तमार, जिला राँची के गोबर्धन पतार के पुत्र क्षेत्रिया मोहन पतार, *पतार (मुंडा)* जनजाति से संबंधित थे; तथा (4) उन साक्षियों की मौखिक गवाही पर, जिन्होंने यह बयान दिया कि उत्तरदाता सं. 1 *मुंडा* था।

प्रथम उत्तरदाता का नाम मतदाता सूची में अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में दर्ज था। उसने 1962 में बिहार राज्य विधान सभा के चुनाव में अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुआ। उस चुनाव में उसने पातर के रूप में नामांकन दाखिल किया था। 1967 में भी प्रथम उत्तरदाता ने तामार अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा के लिए चुनाव लड़ा, किंतु वह पराजित हो गया। अभिलेखों से यह भी प्रकट होता है कि जयपाल सिंह, जो स्वयं भी पातर थे, बिहार राज्य के एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे और वे अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे।

निर्णय हेतु प्रथम प्रश्न यह है कि क्या *पातर*, *मुंडा* नहीं हैं: अपीलकर्ता ने दिनांक 11.01.1969 को (चुनाव से कुछ दिन पूर्व) प्रथम उत्तरदाता द्वारा निष्पादित एक विक्रय विलेख पर विशेष रूप से भरोसा किया, जिसके द्वारा संपत्ति का अंतरण किया गया था और जिसमें यह घोषणा की गई थी कि प्रथम उत्तरदाता किसी भी अनुसूचित जाति अथवा पिछड़े समुदाय का सदस्य नहीं है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46 के अंतर्गत, उपायुक्त की स्वीकृति के बिना अनुसूचित जनजाति के सदस्य अपनी भूमि का अंतरण नहीं कर सकते। यह निर्विवाद है कि उक्त अधिनियम तामार निर्वाचन क्षेत्र पर लागू होता था।

अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्रय विलेख का पंजीकरण तब तक नहीं हो सकता था, जब तक कि उस विक्रय को उपायुक्त की स्वीकृति प्राप्त न हो। प्रथम उत्तरदाता के अनुसार, प्राधिकारियों द्वारा पंजीकरण से इंकार से बचने के लिए उक्त कथन विलेख में क्रेता द्वारा सम्मिलित किया गया था। यह मान भी लिया जाए कि यह कथन प्रथम उत्तरदाता की सहमति से विलेख में जोड़ा गया था, तब भी उसके विरुद्ध प्रतिषेध उत्पन्न नहीं होता। किसी विशेष व्यक्ति का संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना या न होना, मूलतः विधि का प्रश्न है। यद्यपि उसके द्वारा स्पष्ट या निहित रूप से यह स्वीकार किया जाना कि वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, निर्वाचन याचिका में उसके विरुद्ध साक्ष्य होता है, तथापि वह साक्ष्य निर्णायक नहीं होता।

खतियान प्रविष्टियाँ प्रदर्श 1/क और 1/ख यह दर्शाती हैं कि पातर द्वारा निष्पादित विक्रय विलेखों का पंजीकरण स्वीकार किया गया था और उसके अनुसार नामांतरण प्रविष्टियाँ की गई थीं। इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि उन विक्रय विलेखों के निष्पादन से पूर्व उपायुक्त की अनुमति प्राप्त की गई थी या नहीं। राजस्व अभिलेखों की इन प्रविष्टियों से यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि उपायुक्त की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी अथवा कि पातर, मुंडा नहीं हैं। यह मान भी लिया जाए कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 में निहित निषेध का उल्लंघन किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किया गया था, तो भी मात्र इसी आधार पर वह अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का दावा करने से वंचित नहीं हो जाता। विक्रय के ऐसे संव्यवहार शून्य हो सकते हैं, किंतु केवल इसी आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अंतरणकर्ता अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था या वह उस स्थिति का दावा करने से प्रतिषिद्ध था। प्रदर्श 1(ग) और 1(घ) वे विक्रय विलेख हैं, जो मुंडाओं द्वारा निष्पादित किए गए थे और जिनके निष्पादन से पूर्व उपायुक्त की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। प्रदर्श 4 और 4(क) दो रैयती खतियानों की

प्रमाणित प्रतियाँ हैं, जिनमें जिन काश्तकारों का उल्लेख है वे पातर थे और उनकी जाति पातर दर्शाई गई है, किंतु इससे भी यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वे मुंडाओं से भिन्न कोई पृथक जनजाति हैं।

अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। फौद सिंह मुंडा, अभियोजन साक्षी 1, ने यह कहा कि पातर, मुंडा जनजाति की कोई शाखा नहीं हैं, बल्कि वे एक पृथक जाति हैं। उसके अनुसार पातर उपायुक्त की अनुमति के बिना अपनी संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं; यह कि पाहन मुंडाओं के परिवारों में धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जबकि पातर के परिवारों में ब्राह्मण, नाइयों की सहायता से, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते हैं; यह कि मुंडा श्राद्ध में पिंडदान नहीं करते, जबकि पातर करते हैं; यह कि मुंडाओं के लिए सूर्य सर्वोच्च देवता है, जबकि पातर राम और कृष्ण की पूजा करते हैं; तथा यह कि मुंडा सरहुल पर्व मनाते हैं, जबकि पातर पूजा करते हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे मुंडाओं के रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के संबंध में भी पर्याप्त जानकारी नहीं थी।

गंधर्ब सिंह मुंडा, अभियोजन साक्षी 2, का मुख्य परीक्षण में दिया गया कथन अभियोजन साक्षी 1 की गवाही के समान था। प्रति-परीक्षण में इस साक्षी ने कहा कि मुंडा गोंड नहीं हैं, बल्कि वे “एक पृथक जाति” हैं, और यह कि उसने कभी किसी पातर के विवाह समारोह में भाग नहीं लिया तथा न ही उसे किसी पातर द्वारा श्राद्ध के अवसर पर आमंत्रित किया गया। उसने यह स्वीकार किया कि गैर-मुंडा लोग भी सरहुल पर्व मनाते हैं। किंतु उसके अनुसार, अन्य गाँवों के पातर उसके गाँव की देवी दिउरी की पूजा करने आते थे, जिसकी पूजा मुंडा करते थे। वह पातर के रीति-रिवाजों और प्रथाओं के संबंध में, मुंडाओं से भिन्न रूप में, बोलने के लिए सक्षम प्रतीत नहीं हुआ। इस साक्षी को यह भी ज्ञात नहीं था कि जिन्हें सामान्यतः मुंडा कहा जाता है, वे वास्तव में कोमपुट मुंडा होते हैं।

सुधीर कुमार चौधरी, अभियोजन साक्षी 4, जो कि एक ब्राह्मण है, ने कहा कि तामार के गाँवों में मुंडा रहते हैं; उसका पड़ोसी एक मुंडा है; तथा मुंडाओं के परिवारों में विवाह और

श्राद्ध ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। उसने यह भी कहा कि हिंदुओं द्वारा पूजित सभी देवताओं की पूजा “प्रथम उत्तरदाता के परिवार में” की जाती है और यह कि प्रथम उत्तरदाता के परिवार में विवाह और श्राद्ध उसी प्रकार संपन्न होते हैं जैसे हिंदू परिवारों में होते हैं। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने स्वयं प्रथम उत्तरदाता के घर में राम और कृष्ण की पूजा होते हुए नहीं देखी थी। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि प्रति-परीक्षण में इस साक्षी द्वारा दिए गए उत्तर यह दर्शाते हैं कि उसे *मुंडाओं* के रीति-रिवाजों का कोई विशेष ज्ञान नहीं था।

अभिमन्यु सिंह मुंडा, अभियोजन साक्षी 5, ने कहा कि प्रथम उत्तरदाता जाति से पातर है और *मुंडाओं* तथा पातर के बीच विवाह और श्राद्ध की प्रथाएँ भिन्न हैं। प्रति-परीक्षण में उसने कहा कि तामार थाना क्षेत्र में *मुंडा मुंडारी* भाषा बोलते हैं, जबकि *पातर पाँच परगनिया* भाषा बोलते हैं। यह कथन अन्य साक्षियों के बयानों के स्पष्टतः विपरीत था। उसने यह भी कहा कि उसके गाँव में *पातर* का केवल एक ही परिवार है; उसे उसी परिवार द्वारा विवाह और श्राद्ध के अवसरों पर आमंत्रित किया गया था; और वह उस परिवार का गोत्र नहीं जानता। उसने आगे यह कहा कि छोटा नागपुर की सभी अनुसूचित जनजातियाँ हंडिया पीती हैं, किंतु उसने यह नकारा कि *पातर* हंडिया पीते हैं। उच्च न्यायालय की दृष्टि में इस साक्षी की गवाही पर अवलंबन नहीं किया जा सकता था। हम इस निष्कर्ष से असहमत होने का कोई कारण नहीं देखते।

अभियोजन साक्षी 6 स्वयं अपीलकर्ता था। उसने वही बातें दोहराईं जो अभियोजन साक्षी 1, अभियोजन साक्षी 2 तथा अभियोजन साक्षी 5 द्वारा कही गई थीं। उसने यह दावा किया कि *पातर* अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हैं। तथापि, उसने यह स्वीकार किया कि वह कभी किसी *पातर* परिवार में विवाह, श्राद्ध अथवा किसी अन्य समारोह में सम्मिलित नहीं हुआ था और इस कारण वह *पातर* के धार्मिक एवं सामाजिक रीति-रिवाजों के विषय में सक्षम रूप से कुछ कह नहीं सकता। उसने यह भी नकारा कि अभियोजन साक्षी 1 का पुत्र

सेवा मंडल का कर्मचारी था, जबकि इस तथ्य को स्वयं अभियोजन साक्षी 1 ने स्वीकार किया था।

प्रथम उत्तरदाता ने अपने पक्ष के समर्थन में प्रदर्श क, ख, ख/1 तथा ग पर भरोसा किया। प्रदर्श क राय बहादुर शरत चंद्र राय द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र है, जिसमें क्षेत्र मोहन पातर को पातर (मुंडा) जनजाति का सदस्य प्रमाणित किया गया है। प्रदर्श ख और ख/1 खतियान की प्रविष्टियाँ हैं तथा प्रदर्श ग पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अहमद द्वारा दिया गया निर्णय है, जो पातर को मुंडा के रूप में स्वीकार किए जाने से संबंधित है।

क्षेत्र मोहन पातर, उत्तरदाता साक्षी 1, ने कहा कि *मुंडा* समुदाय के भीतर कई संप्रदाय हैं और *पातर* उनमें से एक संप्रदाय है। उसने यह भी कहा कि *मुंडा* की सभी उप-जातियों के परिवारों में विवाह के समय पाहन पुजारी के रूप में कार्य करते हैं और ऐसे अवसरों पर *ब्राह्मण* पुजारी के रूप में कार्य नहीं करते। उसने आगे कहा कि *पातर* भी दाह-संस्कार के बाद अस्थियों को *श्मशान* या *हरगड्डी* कहलाने वाले स्थान पर दफन करते हैं तथा वे भी सूर्य और अन्य वही देवताओं की पूजा करते हैं जिनकी पूजा *मुंडा* करते हैं। उसने *पातर*, *भूमिज* और *महाली* के बीच अंतर्जातीय विवाह के विषय में भी बताया, जो सभी *मुंडा* की उप-जातियाँ हैं।

दारू पाहन, उत्तरदाता साक्षी 2, स्वयं *पातर* नहीं बल्कि *मुंडा* था। उसने कहा कि *खंगार* और *पातर*, *मुंडा* की उप-जातियाँ हैं; उसके गाँव के कुछ *मुंडा* युवकों ने पातर युवतियों से विवाह किया था; और वे युवक अपनी *पातर* पत्नियों के साथ उसी गाँव में रहते थे। उसने यह भी कहा कि जब *मुंडा बरात पातर* पत्नियों के साथ गाँव लौटी थी, तब पूजा उसके भाई द्वारा कराई गई थी। उसने अपने गाँव में *मुंडा* युवकों से विवाह करने वाली कुछ पातर युवतियों के नामों का भी उल्लेख किया।

जमीर मुंडा, उत्तरदाता साक्षी 3, ने कहा कि उसने स्वयं एक पातर युवती से विवाह किया है। उसने यह भी कहा कि *मुंडा* की दो मुख्य शाखाएँ हैं—एक शाखा जिसमें *पातर*,

खंगार और महाली शामिल हैं, तथा दूसरी शाखा जिसमें बाबुआन, मुंडा और कुल मुंडा शामिल हैं; और बाबुआन को छोड़कर अन्य सभी शाखाओं में परस्पर विवाह होते हैं। प्रति-परीक्षण में उसने यह भी कहा कि पातर केवल एक उपाधि है, न कि कोई पृथक उप-जाति।

खुदी राम मुंडा, उत्तरदाता साक्षी 4, ने कहा कि मुंडा की दो मुख्य शाखाएँ हैं—एक जिसमें मुंडा, पातर, खंगार और महाली सम्मिलित हैं, तथा दूसरी जिसमें मानकी, ठाकुर, बाबुआन और मुंडारी शामिल हैं। उसने यह भी कहा कि पातर परिवारों में विवाह के अवसर पर पाहन पुजारी के रूप में कार्य करते हैं, पातर सरना प्रार्थना करते हैं और सरहुल पर्व मनाते हैं। उसने यह भी बताया कि उसके भतीजे ने एक पातर युवती से विवाह किया है और उसकी वर्तमान पत्नी भी पातर है। प्रति-परीक्षण में उसने यह स्वीकार किया कि जो पातर आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, वे धार्मिक एवं सामाजिक समारोहों के अवसर पर पूजा कराने के लिए ब्राह्मणों को भी बुलाते हैं।

राम जातन पातर, उत्तरदाता साक्षी 5, ने कहा कि खतियान में उसके पिता की जाति पातर मुंडा के रूप में दर्ज थी। उसने आगे यह भी कहा कि उसके भतीजे सत्य नारायण की पुत्री का विवाह खुदी राम मुंडा के भतीजे के साथ हुआ था।

रघुनाथ मुंडा, उत्तरदाता साक्षी 6, ने कहा कि मुंडाओं की दो शाखाएँ हैं—मुंडा और पातर मुंडा। उसने आगे यह भी कहा कि पातर के परिवारों में विवाह के अवसर पर अपनाए जाने वाले रीति-रिवाज वही हैं जो मुंडाओं द्वारा अपनाए जाते हैं; कि पातर तथा मुंडा दोनों मृतकों की अस्थियाँ ससांदरी में दफन करते हैं; कि सामान्यतः मुंडा और पातर समुदायों में विवाह संस्कार के समय पाहन पुजारी के रूप में कार्य करते हैं, किंतु जो आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं वे ऐसे अवसरों पर ब्राह्मणों को भी पुजारी के रूप में बुलाते हैं; कि मुंडा तथा पातर दोनों के प्रमुख पर्व सरहुल और बुरु पूजा हैं; तथा कि मुंडा और पातर दोनों मुंडारी भाषा बोलते हैं।

बहादुर पातर, उत्तरदाता साक्षी 7, ने भी इसी प्रकार की गवाही दी।

हरिहर सिंह मुंडा, उत्तरदाता साक्षी 9, ने उत्तरदाता साक्षी 3 और उत्तरदाता साक्षी 4 की गवाही का समर्थन किया। उसने *मुंडाओं* की विभिन्न शाखाओं के बारे में तथा *पातर* और *मुंडा* समुदायों के विवाह एवं अन्य संस्कारों से संबंधित कुछ प्रचलित रीति-रिवाजों के बारे में भी बताया।

कुमार अमरेन्द्र नाथ साह देव, उत्तरदाता साक्षी 10, ने कहा कि *मुंडा* और *पातर* के परिवारों में विवाह के अवसर पर सामान्यतः पाहन पुजारी के रूप में कार्य करते हैं; कि जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं वे ऐसे अवसरों पर ब्राह्मणों को भी आमंत्रित करते हैं; तथा कि *पातर* और *मुंडाओं* की अन्य शाखाओं के बीच अंतर्विवाह प्रचलित हैं। उसने *पातर* परिवारों में मृत सदस्यों की अस्थियाँ दफन करने की प्रथा के बारे में भी बताया।

प्रथम उत्तरदाता, उत्तरदाता साक्षी 11, ने कहा कि उसका नाम 1960 में तैयार की गई मतदाता सूची में दर्ज था; कि वह 1962 में हुए चुनावों में बिहार राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचित हुआ था; तथा कि 1967 के चुनावों में वह पराजित हुआ था। उसने अपने गवाहों द्वारा *मुंडा* समुदाय के रीति-रिवाजों के संबंध में दिए गए बयानों की भी पुष्टि की और यह दावा किया कि *पातर*, *मुंडा* हैं।

डॉ. सच्चिदानंद, उत्तरदाता साक्षी 8, एक प्रसिद्ध मानवविज्ञानी हैं। उन्होंने बिहार में जनजातीय संस्कृति का अध्ययन किया है और मानवविज्ञान पर कई पुस्तकें लिखी हैं। अपनी पुस्तक *बिहार में जनजातीय संस्कृति की रूपरेखा* तथा बिहार के *मुंडाओं* पर लिखे गए अपने लेखों में उन्होंने यह कहा है कि *पातर*, *मुंडा* हैं। उन्होंने मानवविज्ञान संबंधी अध्ययनों के आधार पर इस मत की पुष्टि भी की।

डॉ. शरत चंद्र राय ने अपनी पुस्तक “*मुंडाज़ ऐंड दिस कंट्री*” के पृष्ठ 400 पर निम्नलिखित टिप्पणी की है—

“*मुंडा* जनजाति अनेक बहिर्विवाही समूहों में विभाजित है, जिन्हें *किली* कहा जाता है। *मुंडा* परंपरा के अनुसार, एक ही *किली* के सभी सदस्य एक ही साझा पूर्वज से उत्पन्न माने जाते हैं। किंतु यह परंपरा मूल किलियों के संबंध में पूर्णतः सही न भी हो सकती है। यद्यपि *किली* के संदर्भ में *मुंडा* बहिर्विवाही हैं, तथापि अन्य जनजातियों के संदर्भ में वे अंतर्विवाही हैं। अतः *मुंडा* रीति के अनुसार अब *मुंडा* और

किसी अन्य 'कोलारियन' जनजाति, जैसे *संताल*, के सदस्य के बीच कोई वैध विवाह संभव नहीं है।”

इसके पश्चात डॉ. शरत चंद्र राय ने भूमिज-मुंडा तथा खंगार के रूप में जानी जाने वाली विभिन्न जनजातियों का उल्लेख करते हुए यह कहा—

“परगना बुंइ और तामार में इन खंगार मुंडाओं को *पातर मुंडा* के नाम से जाना जाता है, कुंटी थाना के कुछ भागों में इन्हें *महली मुंडा* कहा जाता है, सिंहभूम में इन्हें *तमाड़िया*, गंगपुर में *बुंडुआर* तथा परगना बलकड्डी में इन्हें *मरांग मुंडा* के अर्थपूर्ण नाम से जाना जाता है।”

डॉ. सच्चिदानंद ने अपनी पुस्तक “बिहार में जनजातीय संस्कृति की रूपरेखा” के पृष्ठ 40 पर यह कहा है—

“सम्पूर्ण *मुंडा* जनजाति दो शाखाओं में विभाजित है—बड़ी शाखा और छोटी शाखा, जिन्हें क्रमशः *महली मुंडाको* और *कोमपट मुंडाको* कहा जाता है। पहली शाखा मुख्यतः रांची ज़िले के तामार परगना में पाई जाती है और इन्हें *पातर* के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः मुंडा अथवा छोटी शाखा से संबंधित लोग *मुंडा* जनसंख्या का बड़ा भाग बनाते हैं। ये दोनों शाखाएँ अंतर्विवाही हैं। सामाजिक दृष्टि से पहली शाखा को दूसरी शाखा की तुलना में निम्न माना जाता है।”

लेखक ने इसके पश्चात पृष्ठ 41 पर यह कहा—

“तामार क्षेत्र में *मुंडाओं* के बीच सामाजिक स्तरीकरण एक विकसित रूप तक पहुँच चुका है। छह पृथक वर्गों या जातियों का भेद किया जा सकता है। इन्हें दो वर्गों में समूहित किया जा सकता है :-- (क) जमींदार या भूस्वामी वर्ग और (ख) रैयत। समूह ‘क’ में सबसे ऊपर वे भूस्वामी होते हैं जिन्हें *ठाकुर* कहा जाता है और जिनके अधिकार में प्रत्येक के पंद्रह से अधिक ग्राम होते हैं। इसके बाद *मानकी* आते हैं, जो अपेक्षाकृत छोटे भूस्वामी होते हैं और प्रत्येक के अधिकार में दस या ग्यारह ग्राम तक होते हैं।

समूह ‘ख’ में *मुंडारी* आते हैं, जो *मुंडा* रैयत होते हैं। *मुंडारी* तथा ऊपर उल्लिखित चार

वर्गों के बीच अंतर्विवाह आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में अत्यधिक असमानता के कारण लगभग असंभव है। तमार में *मुंडा* समाज के सबसे निचले स्तर पर पतार हैं, जो जनजाति की *महली-मुंडाको* शाखा से संबंधित हैं। यद्यपि उनके पास भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, फिर भी उनके और ऊपरी पाँच समूहों के बीच कोई सामाजिक संपर्क नहीं होता। न केवल अंतर्विवाह की कल्पना भी नहीं की जा सकती, बल्कि *पतार* के हाथ का पानी तक ग्रहण नहीं किया जा सकता।”

इस प्रकार प्रतीत होता है कि *पातर* को *मुंडा* समाज में सामाजिक स्तर की दृष्टि से सबसे निचले स्थान पर माना जाता है, किंतु वे फिर भी *मुंडा* ही हैं।

रेव. जॉन हॉफमैन द्वारा, रेव. आर्थर वैन एमेलन के सहयोग से लिखित एन्साइक्लोपीडिया मुंडारिका, खंड IX, पृष्ठ 2881 पर यह कहा गया है कि “*मुंडा* वह नाम है जो *मुंडाओं* को हिन्दुओं द्वारा दिया गया है” और इसका प्रयोग *मुंडाओं* को छोड़कर अन्य सभी लोग करते हैं। “*मुंडा*” शीर्षक के अंतर्गत *मुंडाओं* की विभिन्न उप-जनजातियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से एक *महली* है। इसी ग्रन्थ के पृष्ठ 2756 पर “*महली*” शीर्षक के अंतर्गत कहा गया है कि *महली* वरिष्ठ शाखा का एक *मुंडा* है। इसके पश्चात लेखक ने कहा है कि *महलियों* को विशेष रूप से हिन्दुओं द्वारा *तमडिया* भी कहा जाता है और छोटा नागपुर में उन्हें *खंगार* कहा जाता है। *तमार* में उन्हें *पतार* कहा जाता है। वे जो *मुंडारी* भाषा बोलते हैं, उसकी विशेषता बड़ी संख्या में स्वरगत अवरोध हैं। उनमें व्यावहारिक रूप से वे सभी गोत्र (*किलि*) पाए जाते हैं, जो *मुंडाओं* के बीच पाए जाते हैं।

प्रथम उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य प्रतिष्ठित मानवविज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों से प्रचुर रूप से समर्थित हैं। प्रथम उत्तरदाता का नाम बिना किसी आपत्ति के मतदाता सूची में अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में दर्ज था। वह 1962 में अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ था। उसने 1967 में पुनः उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, किंतु वह पराजित हो गया। केवल 1969 में हुए नए चुनावों में, जब उसने पुनः उस सीट से चुनाव लड़ा और निर्वाचित घोषित किया गया, तब यह आपत्ति उठाई गई कि वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है। समस्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हमारा मत है कि *पातर*, *मुंडा* की एक उप-जनजाति हैं और वे *मुंडाओं* से भिन्न नहीं हैं।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक तर्क में भी कोई सार नहीं है। यह सत्य है कि संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन जारी संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग III में “मुंडा” नाम का उल्लेख किया गया है और इसी प्रकार मुंडाओं की अन्य कुछ उप-जनजातियों के नाम भी उल्लिखित हैं। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि यदि डॉ. सच्चिदानंद के अनुसार महली, हो, भूमिज, असुर, बैगा और खंगार मुंडा हैं, तो अनुसूचित जनजाति आदेश में उनमें से कुछ जनजातियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना यह स्पष्ट दर्शाता है कि पातर, जिनका उसमें उल्लेख नहीं है, आदेश के अर्थ में अनुसूचित जनजाति नहीं हैं। किंतु इस दृष्टिकोण के समर्थन में कोई आधार नहीं है। यदि पातर मुंडा हैं, तो केवल इस कारण से कि मुंडाओं की कुछ उप-जनजातियों का आदेश में उल्लेख किया गया है और कुछ का नहीं, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जिनका उल्लेख नहीं है वे मुंडा नहीं हैं। हम यह मानने में असमर्थ हैं कि केवल इसलिए कि पातर का सूची में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उन्हें “मुंडा” की सामान्य श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

इस तर्क के समर्थन में दिए गए निर्णयों का, कि न्यायालय यह सिद्ध करने हेतु साक्ष्य ग्रहण नहीं कर सकते कि व्यक्तियों के कुछ वर्ग, यद्यपि राष्ट्रपति आदेश में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं हैं, फिर भी आदेश के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने के लिए अभिप्रेत थे, संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है। तथापि, यह कहना पर्याप्त होगा कि प्रथम उत्तरदाता का यह मामला नहीं है कि पातर एक पृथक् समुदाय हैं, बल्कि उसका यह कहना है कि रीति-रिवाजों, धार्मिक विश्वासों, उपासना-पद्धतियों तथा अन्य सामाजिक दायित्वों की समानता के कारण उन्हें मुंडा माना जाना चाहिए।

बी. बसवैलिंगप्पा बनाम डी. म्युनिचिन्नप्पा' में प्रासंगिक तथ्य यह थे कि एक व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ था, ने यह दावा किया कि वह भोवी जाति से संबंधित है, जो संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 में उल्लिखित अनुसूचित जातियों में से एक थी, जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था। निर्वाचन याचिका में यह कहा गया कि वह व्यक्ति वास्तव में वोड्डर जाति से संबंधित था, जिसका आदेश में उल्लेख नहीं था, और इस कारण वह अनुसूचित

जाति निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं था। निर्वाचन अधिकरण के समक्ष यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया कि *भोवी*, *वोड्डर* जाति की एक उप-जाति है और चूँकि वह व्यक्ति भोवी उप-जाति से संबंधित नहीं था, इसलिए वह निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता था। अपील में उच्च न्यायालय ने यह माना कि यद्यपि *वोड्डर* जाति का आदेश में उल्लेख नहीं था, तथापि 1950 में जब आदेश पारित हुआ उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, आदेश में उल्लिखित *भोवी* जाति वास्तव में *वोड्डर* जाति ही थी। इस न्यायालय में अपील में यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य पर विचार कर यह निष्कर्ष निकालना कि आदेश में उल्लिखित भोवी से तात्पर्य *वोड्डर* जाति से था, त्रुटिपूर्ण है और अधिकरण को ऐसा साक्ष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए था, जिसका प्रभाव राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश में संशोधन करने जैसा हो। इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि साक्ष्य से यह स्पष्ट था कि 1950 में जब आदेश पारित हुआ, तब तत्कालीन मैसूर राज्य में *भोवी* नाम की कोई जाति अस्तित्व में ही नहीं थी, और इसलिए आदेश का उद्देश्य किसी ऐसी जाति को मान्यता देना नहीं हो सकता था जो अस्तित्व में ही नहीं थी। अतः यह पता लगाना आवश्यक था कि “*भोवी*” नाम के प्रयोग से किस जाति का अभिप्राय था, और उस उद्देश्य के लिए अधिकरण द्वारा साक्ष्य दर्ज किया जाना तथा उच्च न्यायालय द्वारा उस पर भरोसा किया जाना उचित था। इस प्रकार इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की पुष्टि की। यह निर्णय इस दलील का समर्थन नहीं करता कि राष्ट्रपति आदेश में किसी प्रविष्टि का अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है।’

क्रमानुसार अगला मामला *भैयालाल बनाम हरिकिशन सिंह एवं अन्य*¹ का है। उस मामले में राज्य विधान सभा के एक चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि सफल प्रत्याशी *डोहर* जाति से संबंधित था, जिसे संबंधित ज़िले के लिए अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी, और इस कारण वह चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं था। निर्वाचन

अधिकरण ने चुनाव को अमान्य घोषित किया और अपील में उच्च न्यायालय ने उस निष्कर्ष की पुष्टि की। इस न्यायालय ने यह माना कि यह दलील स्वीकार्य नहीं है कि अपीलकर्ता चमार नहीं है और इसलिए वह चमार का दर्जा दावा नहीं कर सकता, जबकि वह यह कहता है कि वह डोहर जाति से संबंधित है जो चमार की एक उप-जाति है, क्योंकि ऐसा परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 341 के प्रावधानों को देखते हुए अनुमेय नहीं है। उस मामले में यह तर्क दिया गया कि चमार को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु डोहर को नहीं। यह पाया गया कि सफल प्रत्याशी डोहर था और चमार नहीं था। न्यायालय ने यह दलील स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि कुछ क्षेत्रों में डोहर को चमार की उप-जाति माना जाता है। जब यह स्थापित हो गया कि प्रत्याशी उस निर्वाचन क्षेत्र में चमार नहीं था और डोहर अनुसूचित जाति नहीं थे, तब यह तर्क पूर्णतः निरर्थक था। न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट करते समय राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अधिसूचना को जाति, नस्ल या जनजाति के किसी भाग या समूह तक सीमित कर सके। राष्ट्रपति यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि पूरी जाति, नस्ल या जनजाति को नहीं, बल्कि उसके कुछ भागों या समूहों को ही निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, राष्ट्रपति पूरे राज्य के लिए या राज्य के किसी भाग के लिए भी ऐसा निर्दिष्टीकरण कर सकता है, जहाँ वह सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के परीक्षण के आधार पर इसे उचित समझे। इस दृष्टिकोण के आधार पर न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय को सही ठहराया कि सफल प्रत्याशी, जो डोहर था, उस निर्वाचन क्षेत्र में संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 के अर्थ में चमार नहीं था।²

लक्ष्मण सिद्धप्पा नाइक बनाम कल्लिमणि चनिअप्पा जमप्पन्ना एवं अन्य² के मामले में, मैसूर विधान सभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक सीट के चुनाव में असफल प्रत्याशी ने निर्वाचन याचिका दायर की, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि अन्य

2 (1) [1965] 2 एस.सी.आर. 877

2. [1968] 2 एस.सी.आर. 805

तीन प्रत्याशी *बेदार* थे, जो संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 के भाग VIII के अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट जनजाति नहीं थी। सफल प्रत्याशी ने यह दावा किया कि वह *नायक* था और नायक को *बेदार* भी कहा जाता है। उच्च न्यायालय ने यह माना कि उस क्षेत्र में कोई नायक नहीं था और सफल प्रत्याशी *बेदार* था। इस न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि *नायक* न केवल मैसूर के जिलों में, बल्कि महाराष्ट्र और राजस्थान में भी पाए जाते हैं। यह जनजातीय समुदाय व्यापक रूप से फैला हुआ था और यह नहीं कहा जा सकता कि जिस जिले से अपीलकर्ता संबंधित था वहाँ कोई *नायक* नहीं था। निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा मात्र यह कहना कि अपीलकर्ता *बेदार* है, नामांकन पत्र की स्वीकृति या अपीलकर्ता के इस दावे को कि वह *नायक* है, खंडित करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

वर्तमान मामले में प्रथम उत्तरदाता का यह तर्क नहीं है कि वह पातर है और ऐसी किसी जनजाति का सदस्य है जो *मुंडा* नहीं है, बल्कि उसका यह कहना है कि उसे *मुंडा* के रूप में मान्यता प्राप्त है। उसका मामला यह है कि अपनी जनजाति में वह *मुंडा पातर* है।

इस न्यायालय के हाल के निर्णय *दीना बनाम नारायण सिंह और एक अन्य*⁽¹⁾ की ओर³ भी ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। उस मामले में दीना नरनवरे को महाराष्ट्र विधान सभा में आमोरी अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया था। उसकी निर्वाचन को प्रथम उत्तरदाता द्वारा इस आधार पर दायर आवेदन पर निरस्त कर दिया गया कि दीना आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बनने के लिए अर्ह नहीं था। दीना ने अपने नामांकन पत्र में यह घोषित किया था कि वह *गोंड (माना)* जाति का सदस्य है और यह जाति महाराष्ट्र राज्य के चांदा ज़िले के गडचिरोली तालुका में अनुसूचित जनजाति है, तथा वह *गोंड* होने के कारण, यद्यपि उसे माना कहा जाता है, संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 के अंतर्गत प्रदत्त लाभों का अधिकारी है। इस न्यायालय ने साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि *गोंडों* के भीतर *मराठा माना* नामक कोई उप-जनजाति

3 (2) 1957 का दीवानी अपील सं. 1622, जिसका निर्णय 21 मई, 1968 को किया गया।

नहीं है। यह पाया गया कि *मराठा माना* समुदाय के सदस्यों के रीति-रिवाज, आचरण, पूजा-पद्धति और पहनावा, गोंडों के रीति-रिवाजों, आचरण, पूजा-पद्धति और पहनावे से पूर्णतः भिन्न हैं। इस दृष्टि से न्यायालय ने यह माना कि मराठाओं के बीच माना समुदाय को *गोंड* नहीं माना जा सकता और अपीलकर्ता *गोंड* के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं था। यह निर्णय स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करता है कि किसी जनजाति या उप-जनजाति का नाम निर्णायक नहीं होता। भले ही किसी व्यक्ति की जनजाति का नाम राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश में सम्मिलित नाम से भिन्न हो, फिर भी यह दर्शाया जा सकता है कि आदेश में सम्मिलित नाम एक सामान्य नाम है, जो उसकी उप-जनजातियों पर भी लागू होता है।

अतः अपील असफल होती है और लागत सहित निरस्त की जाती है।

वी.पी.एस.

याचिका खारिज कर दी गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।